1

ओ३म्
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

साप्ताहिक
आर्य सन्देश

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का मुखपत्र

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की 200वीं जयन्ती के अवसर
MMTC द्वारा शुद्ध चांदी के विशेष सिक्के
999.9 टंच 10 ग्राम MMTC के प्रमाणपत्र सहित
आकर्षक पैकिंग में उपलब्ध
रु. ~~2200~~ 1100/-
प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें
9650183336, 9540040339

वर्ष 47, अंक 14 | एक प्रति : 5 रुपये
सोमवार 19 फरवरी, 2024 से रविवार 25 फरवरी, 2024
विक्रमी सम्वत् 2080 | सृष्टि सम्वत् 1960853124
दयानन्दाब्द : 200 | पृष्ठ : 4
वार्षिक शुल्क : 250 रुपये | दूरभाष: 23360150
ई-मेल : aryasabha@yahoo.com
इंटरनेट पर पढ़ें -www.thearyasamaj.org/aryasandesh

आर्यसमाज से गुरुकुल कांगड़ी को छीनने का बड़ा षड़यन्त्र
स्वामी श्रद्धानन्द जी की ऐतिहासिक विरासत को जाने नहीं देंगे

गुरुकुल कांगड़ी की पुण्य धरा आर्यसमाज का अभिन्न अंग : इसे हर कीमत पर बचाने के लिए पुरजोर लड़ेगा आर्यसमाज

आर्यसमाज की जगह शिक्षा मन्त्रालय का मालिक बनना नहीं सहेगा आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी को राजनैतिक स्वार्थ की बलि नहीं चढ़ने देंगे

पूर्व शिक्षा राज्यमन्त्री डॉ. सत्यपाल सिंह के इशारों पर काम कर रहे हैं यू.जी.सी. एवं शिक्षा मन्त्रालय के अधिकारी: कर रहे हैं बार-बार असंवैधानिक कार्य

डॉ. सत्यपाल सिंह की इच्छापूर्ति मात्र के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वालों से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की अस्मिता को बचाए सरकार

दिल्ली की आर्यसमाजों ने किया पुरजोर विरोध प्रदर्शन
शिक्षा मन्त्रालय के कदम वापस लेने तक रखेंगे संघर्ष जारी

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा डॉ. सत्यपाल सिंह की कुलाधिपति के रूप में अवैध नियुक्ति के विरुद्ध दिल्ली सभा, समस्त आर्यसमाजों, आर्य केन्द्रीय सभा, वेद प्रचार मंडल एवं आर्य संस्थाओं ने किया विरोध प्रदर्शन

माननीय प्रधानमन्त्री एवं शिक्षा मन्त्री से हस्तक्षेप की अपील
समस्त आर्यसमाजें एवं आर्यजन पत्र भेजें और चलाएं हस्ताक्षर अभियान

200वीं जयन्ती पर हम इस घटना को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे किन्तु अब आर्यसमाज को जानकारी एवं सहयोग के लिए जागरूक करना ही होगा

समस्त आर्यजनों के लिए आज जानना है बेहद जरूरी

क्या है गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय का इतिहास? कौन हैं स्पॉन्सरिंग सोसायटी?

स्थापना: भारत में प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटीज् (कलकत्ता, मद्रास, बंबई) तथा पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर की स्थापना के उपरान्त लगभग 121 वर्ष पूर्व दिनांक 02 मार्च, 1902 को हरिद्वार में स्थापित होने वाला गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहला गैर-ब्रिटिश विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिष्य महान् आर्य समाजी तथा हिन्दू समाज सेवी स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा की गयी थी जिसका संचालन आर्य विद्या सभा के माध्यम से आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता था।

विश्वविद्यालय का योगदान : विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुकुल परम्परा के अनुसार प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी थी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी इस विश्वविद्यालय की उपाधियां भारत की तत्कालीन विभिन्न प्रान्तीय सरकारों/विश्वविद्यालयों/परीक्षाओं में तथा विदेशों जैसे जर्मनी, इजिप्ट, रूस इत्यादि में मान्य थी। महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पं. जवाहर लाल नेहरु, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ज्ञानी जैल सिंह, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री राजनाथ सिंह सहित अनेकानेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विभूतियों ने यहां दीक्षान्त भाषण प्रदान किए।

शिक्षा के साथ विश्वविद्यालय का सामाजिक योगदान भी उत्कृष्ट रहा है। वैदिक संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य-सृजन, पत्रकारिता में विश्वविद्यालय का योगदान विश्वव्यापी है। अंग्रेजों के लिए पहेली बन चुके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का व्यापक स्वतन्त्रता आन्दोलन के अतिरिक्त हैदराबाद आन्दोलन, हिन्दी आन्दोलन, गौ-रक्षा आन्दोलन इत्यादि में योगदान अविस्मरणीय है।

विश्वविद्यालय की मान्यता : स्वाधीनता के उपरान्त बदली परिस्थितियों में गुरुकुल के संचालकों ने इसे एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बनाने का विचार किया। उनका विचार था कि स्वराज्य की सरकार के नियन्त्रण में रहने से गुरुकुल को कोई हानि नहीं होगी और उसका अधिक विकास हो सकेगा। इसीलिए 10 जनवरी, 1948 को विद्या सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव संख्या 1(ख) पारित किया गया -''अब यह समय आ गया है जबकि गुरुकुल विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रचन्य और संचालन में परिवर्तन विश्वविद्यालय बनाने के लिए सब आवश्यक प्रयत्न और व्यवस्था यथा सम्भव शीघ्र से शीघ्र की जानी चाहिये। परन्तु चार्टर प्राप्त करने में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाये कि जिससे गुरुकुल को अपने मौलिक सिद्धान्तों और आदर्शों को छोड़ना न पड़े।''

भारत में विश्वविद्यालयों के नियमन इत्यादि के लिए पारित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करनी आवश्यक थी जिसके लिए तत्समय जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत निबन्धक, सोसाइटीज, पफर्म्स एण्ड चिट्स, लखनऊ के पत्रांक 1-10436 दिनांक 17.03.1961 के अनुसार पंजीकरण कराया गया। इसकी पंजीकरण संख्या 622/1960-61 थी।

यू.जी.सी. ने अपने पत्रांक एफ. 19-1/60-यू.2. दिए 30.09.1961 के द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्राालय को यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धरा 3 के अन्तर्गत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को बी.ए., बी.एस.सी. तथा एम.ए. डिग्री के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की।

सन् 1962 में विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धरा 3 के अन्तर्गत राजाज्ञा स. एफ. 10-17/62-यू.2. कंजमक 19.06.1962 के द्वारा भारत सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय Indian Institute of Science (IISc) Bangalore तथा Indian Agricultural Research Institute (IARI), PUSA, Delhi के बाद भारत का तीसरा डीम्ड विश्वविद्यालय बना।

विश्वविद्यालय को सरकारी अनुदान : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ. 23-43/63-यू.4 दिनांक 02.11.1963 के अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त व्यय के आधे भाग का अनुदान यू.जी.सी. द्वारा तथा शेष आधे भाग का अनुदान सीधे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इस प्रकार तभी से अद्यपर्यन्त विश्वविद्यालय शतप्रतिशत सरकारी अनुदान से संचालित है। विश्वविद्यालय को योजना मदों में विकास इत्यादि अनुदान तथा गैर-योजनान्तर्गत मद में अनुरक्षण अनुदान नियमित रूप मिल रहा है।

सरकारी शर्तें व संविधान में संशोधन:

विश्वविद्यालय को यू.जी.सी./मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मन्त्रालय) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना होता है। इसी के तहत 1964 में संविधान में संशोधन कर आर्य विद्या सभा को सीनेट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा विश्वविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र में सीनेट (शिष्ट परिषद्, सिंडीकेट (कार्यपरिषद्), शिक्षा पटल, वित्त समिति अस्तित्व में आ गयी। इन समितियों में सरकार के नुमाइंदे भी अनिवार्य रूप से शामिल किए गए।

वर्ष 1984 के संविधान संशोधन में सभाओं के प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया गया तथा वर्ष 2010 में सरकार ने राजाज्ञा जारी कर यू.जी.सी. गाइडलान्स-2010 के अनुरूप विश्वविद्यालय के संविधान को संशोधित करना अनिवार्य कर दिया।

यू.जी.सी. गाइडलान्स 2010 के अनुरूप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संविधान में सन् 2012 में मात्र 11 सदस्यीय प्रबन्ध मण्डल अस्तित्व में आ गया। साथ ही विजिटर, आचार्य जैसे पद भी समाप्त कर दिए गए। कुलाधिपति का कार्यक्षेत्र केवल कुलपति चयन समिति में एक तथा प्रबन्ध मण्डल में तीन सदस्य नामित करने, चयन समिति द्वारा संस्तुत नामों में से एक का कुलपति के रूप में चयन करने तथा दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करने मात्र तक सीमित कर दिया गया। सीनेट में जहां पूर्व में आर्य प्रतिनिधि सभा के 15 मनोनीत सदस्य होते थे वहां नये प्रबन्ध मण्डल में प्रायोजक संस्था का मात्र एक नामित सदस्य रखा गया।

इसके पश्चात् 2019 में रैगूलेशन आए। वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार, उन्हीं रैगूलेशन 2019 के आधार पर संचालित है।

क्या और कौन है स्पॉन्सरिंग सोसायटी? : जो संस्था अपनी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने के लिए भारत सरकार से आवेदन करती है, वह ही उस संस्थान/विश्वविद्यालय की स्पॉन्सरिंग सोसाइटी/प्रयोजक संस्था कहलाती है। इस आधार पर वर्ष 1976 से पहले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था (स्पॉन्सरिंग सोसायटी) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब थी। 1976 में राजकीय सीमाओं के अनुसार आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का विभाजन हो गया और तब से तीन आर्य प्रतिनिधि सभाएं (आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब) सम्मिलित रूप से इसकी स्वामिनी (स्पॉन्सरिंग सोसायटी) चली आ रही हैं।

क्या है वर्तमान में विवाद का प्रकरण : आर्यजनों के संज्ञान के लिए उल्लेखनीय तथ्य

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्वामिनी - प्रायोजक संस्था (स्पॉन्सरिंग सोसायटी) - आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ही संयुक्त रूप से इसका संचालन करती हैं और इन्हीं के प्रधान मिलकर बहुमत/सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का चयन करते हैं।

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार वर्तमान में यू.जी.सी. अधिनियम 2012 के आधार पर निवर्तमान कुलाधिपति डॉ. सत्यपाल सिंह का निर्वाचन भी तीनों सभाओं के माननीय प्रधान महोदयों द्वारा सर्वसम्मति से मई 2018 में किया गया था। उन्होनें 12 फरवरी, 2019 को पदभार ग्रहण किया और उनका कार्यकाल 11 फरवरी, 2024 तक था।

डॉ. सत्यपाल सिंह ने गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से 30 दिसम्बर, 2022 को त्यागपत्र दे दिया था (उनका कार्यकाल 11 फरवरी, 2024 तक था), जिसे स्पॉन्सरिंग सोसायटी ने स्वीकार भी कर लिया था।

जनवरी, 2023 में यू.जी.सी. द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें कुलाधिपति के रूप में डॉ. सत्यपाल सिंह को कन्टीन्यू करने के लिए पत्र जारी किया गया।

नैनीताल हाईकोर्ट में यू.जी.सी. का ये पत्र चैलेंज हुआ और हाइकोर्ट ने उस पत्र को निरस्त कर दिया। इसका अर्थ था कि डॉ. सत्यपाल सिंह स्वयं को कुलाधिपति नहीं लिख सकते।

डॉ. सत्यपाल सिंह के त्यागपत्र से कुलाधिपति पद रिक्त हो जाने के पश्चात् स्पॉन्सरिंग सोसायटी द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2023 को नए कुलाधिपति का निर्वाचन किया गया, जिसको रोकने के लिए यू.जी.सी. ने फिर से एक पत्र भेजा, कि सुदर्शन शर्मा (नव निर्वाचित कुलाधिपति) की नियुक्ति अवैध है और डॉ. सत्यपाल सिंह ही कुलाधिपति बने रहेंगे।

इस पत्र को पुन: हाईकोर्ट नैनीताल में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने यू.जी.सी. के उस पत्र को भी निरस्त कर दिया गया। इस आधार पर श्री सुदर्शन शर्मा वर्तमान में कुलाधिपति हैं और उनका कार्यकाल पांच वर्ष का है। इसके बावजूद भी डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा कुलाधिपति पदनाम का प्रयोग करते रहने का स्वयं सज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने "Contempt of Court" का Suo-moto Notice जारी किया, जिसके उत्तर में डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा कोर्ट के समक्ष क्षमा प्रार्थना करते हुए पत्र Apology एफिडेविट भी प्रदान करना पड़ा।

- शेष पृष्ठ 3 पर

पृष्ठ 2 का शेष

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं शिक्षा मन्त्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी से हस्तक्षेप की अपील

इतना सबकुछ होने के पश्चात् भी डॉ. सत्यपाल सिंह अपने को कुलाधिपति मनोनीत करवाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते रहे। हमने इस विषय में बार-बार यू.जी.सी. एवं शिक्षा मन्त्रालय को लिखा, किन्तु शिक्षा मन्त्रालय ने इन सब बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके, नियमों के विरुद्ध चलते हुए पुनः डॉ. सत्यपाल सिंह को कुलाधिपति मनोनीत कर दिया है। जोकि मन्त्रालय का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। कुलाधिपति मनोनीत करने का अधिकार तब तक केवल स्पॉन्सरिंग सोसायटी का ही है, जब तक नए नियम 2023 सोसायटी द्वारा स्वीकार नहीं कर लिए जाते। विश्वविद्यालय में अभी यू.जी.सी. अधिनियम-2019 ही लागू है, हमने विनियम 2023 को स्वीकार नहीं किया है, और जिसके लिए नियमानुसार समय शेष है।

आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि गुजरात विद्यापीठ भी इसी प्रकार का संस्थान है और उसमें कुलपति की नियुक्ति इसी महीने अधिनियम 2019 के आधार पर ही की गई है, न कि विनियम 2023 के आधार पर। इससे स्पष्ट है कि डॉ. सत्यपाल सिंह जी की जिद्द के चलते शिक्षा मन्त्रालय के अधिकारी केवल गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार को ही इसकी जद में ले रहे हैं।

क्या है यू.जी.सी. विनियम 2019/2023?

किसी भी विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालय जोकि विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार से विश्वविद्यालय संचालन के लिए अनुदान प्राप्त करता है को समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना होता है।

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने सरकारी अनुदान/सहायता की कभी मंशा नहीं रखी थी। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा इसका संचालन वर्ष 1961 तक बिना किसी सरकारी सहायता/अनुदान किया जाता रहा। किन्तु बाद में तत्कालीन स्पॉन्सरिंग सोसायटी - आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने इसके लिए आवेदन किया और विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर अनुदान प्राप्त किया। वर्तमान में कुल व्यय का लगभग 70% अनुदान यू.जी.सी./शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।

यू.जी.सी. द्वारा विभिन्न अधिनियम/रैगूलेशन/विनियम समय-समय पर लाए गए जोकि विश्वविद्यालय की प्रयोजक संस्थाओं की स्वीकृति/सहमति/सम्मति से लागू होते रहे। फिर चाहे 2012 हो या 2019 के अधिनियम या इससे पूर्व के कोई भी रैगूलेशन। वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार, उन्हीं रैगूलेशन 2019 के आधार पर संचालित है।

यू.जी.सी. विनियम -2023 जिन्हें 2 जून, 2023 को अधिसूचित किया गया तथा सभी विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए एक वर्ष की समय सीमा दी गई, जोकि 2 जून, 2024 को समाप्त होगी।

इस विनियम के ड्राफ्ट प्राप्त होने के समय गुरुकुल कांगड़ी की प्रायोजक संस्थाओं की ओर से उसके बिन्दुओं पर आपत्तियां की गई थी। किन्तु उन पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। विनियम 2023 जारी कर दिए गए जिनमें उन सभी संस्थानों/समविश्वविद्यालयों जोकि 50% से अधिक अनुदान प्राप्त करते हैं, के कुलपति और कुलाधिपति सरकार से नियुक्त जाएंगे।

क्या और क्यों है विरोध?

ये विनियम गुरुकुल के रजिस्ट्रार द्वारा प्रायोजक संस्थाओं को विचार/सहमति/स्वीकृति हेतु भेजे जाने थे और प्रायोजक संस्थाओं की स्वीकृति के उपरान्त यू.जी.सी. और शिक्षा मन्त्रालय को भेजे जाने अपेक्षित थे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा केवल मात्र विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल की बैठक में इन पर स्वीकृति दे दी गई और लागू करने के लिए यू.जी.सी./शिक्षा मन्त्रालय को भेज दिए गए और नियम विरुद्ध होने पर भी मन्त्रालय/यू.जी.सी. द्वारा उन्हें स्वीकार भी कर दिया गया। यहीं से हमारा विरोध है।

यू.जी.सी./शिक्षा मन्त्रालय द्वारा न तो इस विषय की जाचं की गई और न ही प्रयोजक संस्थाओं से ही इसकी सम्पुष्टि की गई।

लेकिन डॉ. सत्यपाल सिंह ने केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में अपने प्रभाव का अनुचित प्रयोग करते हुए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्पॉन्सरिंग सोसाइटी यानि स्वामिनी संस्थाएं जोकि आर्य समाज की तीन सभाएं - आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब आर्य दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा हैं, इनको बेदखल करके यानि कि आर्य समाज को वहां से बिल्कुल बेदखल करके, शिक्षा मंत्रालय को इसकी स्पॉन्सरिंग सोसायटी यानी प्रायोजक संस्था के रूप में परिवर्तित करवा दिया है तथा शिक्षा मन्त्रालय के माध्यम से स्वयं को इस संस्था का कुलाधिपति मानोनीत करवा लिया है।

यह न केवल भारत सरकार के द्वारा बनाए गए अपनी ही कानून के खिलाफ है बल्कि नैतिक रूप से भी पूर्णतया गलत है। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि डॉ. सत्यपाल सिंह इस कार्य में लगातार सरकार को भ्रमित कर रहे हैं।

हम निरन्तर पिछले 6 महीने से शिक्षा मन्त्रालय को विभिन्न स्तरों पर इस विषय में पत्रों द्वारा निवेदन करते रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि किसी भी स्तर पर किसी ने हमारी बात कभी नहीं सुनी।

शिक्षा मन्त्रालय द्वारा यू.जी.सी. एवं गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय प्रशासन जबरन दबाव और लालच देकर, केवल मात्र पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मन्त्री डॉ. सत्यपाल सिंह की हठधर्मिता एवं इच्छपूर्ति के लिए, नियमों को ताक पर रखकर, अवैध एवं असंवैधानिक रूप से आर्यसमाज की ऐतिहासिक शिक्षण संस्था पर जबरन कब्जा करने के लिए पुनः उसी डॉ. सत्यपाल सिंह को कुलाधिपति के रूप में मान्यता दी है, जिसका त्यागपत्र विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्थाओं ने स्वीकार करके, पदभार मुक्त कर दिया था। माननीय हाईकोर्ट उत्तराखण्ड भी इस बात को 10 जनवरी, 2023 के आदेश में पुष्ट कर चुका है।

शिक्षा मन्त्रालय एवं यू.जी.सी. के अधिकारियों की मिलीभगत द्वारा आर्यसमाज की ऐतिहासिक शिक्षण संस्था गुरुकुल कंगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार को हड़पने, कब्जा करने की नीयत से जबरन षड़यन्त्रपूर्वक राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए डॉ. सत्यपाल सिंह को कुलाधिपति बनाने का अनैतिक, अवैध एवं असंवैधानिक कार्य किया गया है, जिसके कारण शिक्षा मन्त्रालय और यू.जी.सी. के विरुद्ध आर्यसमाज का विरोध आज से आरम्भ हो गया है और यह विरोध निरन्तर जारी रहेगा। हम आर्यसमाज की ऐतिहासिक शिक्षण संस्था की राजनैतिक बलि नहीं चढ़ने देंगे।

हमारा विरोध एवं मांग

हमारा शिक्षा मन्त्रालय एवं यू.जी.सी. के इस अनुचित एवं अनैतिक प्रयास विरुद्ध उस समय तक निरन्तर पत्रों/ धरना-पदर्शन के द्वारा विरोध जारी रहेगा जब तक शिक्षा मन्त्रालय अपने कदम पीछे नहीं ले लेता।

बंधुओं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य, महान शिक्षाविद्, अमर क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी आर्य समाज के 121 वर्ष पुराना विश्वविख्यात संस्थान है। इस संस्था ने अनेक तरह के उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन ये आर्य समाज की धरोहर और हमारे महापुरुषों की विरासत के रूप में सदा सर्वदा राष्ट्र एवं मानव सेवा के लिए अनेक विद्वानों को प्रदान करती आ रही है। आज फिर इस संस्था के सामने एक अत्यंत गहरा षडयंत्र है। लेकिन आर्य समाज हमेशा से विपरीत परिस्थितियों में संतुलन और साहस को कायम रखता आया है। अतः इस गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार की रक्षा के लिए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को अपनी आर्य समाज और आर्य संस्थाओं की ओर से पत्र लिखें, और सरकार की मनमानी का विरोध करें।

हम स्वामी श्रद्धानन्द के सपनों का स्मारक गुरुकुल कांगड़ी को सरकारी सम्पत्ति बनाने के षड्यंत्र का हम घोर विरोध करते हैं, और आपसे इस बारे में तुरंत दखल देने का निवेदन करते हैं।

अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द जी के 100वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर उनकी अमरकृति गुरुकुल कांगड़ी को सरकारी सम्पत्ति बनाए जाने की कोशिश किसी व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति का कारण बन रही हैं, आर्य समाज में इस बात को लेकर गहरा रोष व्याप्त हो रहा है, न्यायकारी सरकार से आशा करते हैं कि इस बारे में तुरन्त दखल दें।

आर्य समाज के साथ शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी निरन्तर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हमारे किसी भी पत्र पर बिलकुल ध्यान नहीं है, केवल सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह की स्वार्थपूर्ति को लेकर फैसले लेने से आर्य समाज में निराशा है, प्रधानमन्त्री जी से इस बारे में न्याय करने का निवेदन करते हैं।

समस्त आर्यसमाजों एवं आर्य संस्थानों से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय एवं यू.जी.सी. के अधिकारी जोकि नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं कि खिलाफ कार्यवाही करने के लिए माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी जी एवं शिक्षामन्त्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी को पत्र लिखें, ट्वीट करें तथा अधिक से अधिक महानुभावों के हस्ताक्षर कराकर भेजें उनके नाम एवं पते निम्न निम्न प्रकार हैं -

श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधानमन्त्री, भारत सरकार
7, लोक कल्याण मार्ग,
नई दिल्ली-110011
Email : mosb@pmo.nic.in
X : @narendramodi
@PMOIndia

श्री धर्मेन्द्र पधान जी
माननीय शिक्षा मन्त्री, भारत सरकार
302 सी, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
Email : minister.sm@gov.in
d.pradhan@sansad.nic.in
X : @dpradhanbjp
Mob: 9868180290, 9013181290

श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा, निजी सचिव, शिक्षा मन्त्री
Email : pstosm@gov.in

खेद व्यक्त - खेद है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की 200वीं जयन्ती-ज्ञान ज्योति पर्व-स्मरणोत्सव : टंकारा के आयोजन के कारण आर्यसन्देश साप्ताहिक के गत अंक दिनांक 22 से 28 जनवरी, 29 जनवरी से 4 फरवरी, 5 से 11 फरवरी एवं 11 से 18 फरवरी, 2024 प्रकाशित नहीं हो सके। पाठकों को हुई असुविधा के लिए खेद है। - *सम्पादक*

साप्ताहिक आर्य सन्देश

सोमवार 19 फरवरी, 2024 से रविवार 25 फरवरी, 2024

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15-हनुमान रोड, नई दिल्ली-110001

दिल्ली पोस्टल रजि.नं0 डी.एल.(एन.डी.)-11/6071/2024-25-2026

LPC, DRMS, दिल्ली-6 में पोस्ट करने की तिथि 22-23-24/02/2024 (वीर-शुक्र-शनिवार)

पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं. यू. (सी.) 139/2024-25-26

आर. एन. नं. 32387/77 प्रकाशन तिथि: बुधवार 21 फरवरी, 2024

स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी की रक्षा हेतु आर्यजनों ने लिया संकल्प

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के अनन्य शिष्य एवं अमर क्रान्तिकारी, महान शिक्षाविद, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आर्य समाज की महान धरोहर तथा वैदिक धर्म संस्कृति और संस्कारों का पुरातन केन्द्र सदा से रहा है।

गुरुकुल कांगड़ी की पहचान को समाप्त करने का षड़यन्त्र कुलपति और कुलसचिव की गतिविधियां सन्देहास्पद

गुरुकुल की भूमि बेचने वालों का विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मंचों पर स्वागत करना निन्दनीय

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार को लेकर चल रहे विवाद के विषय में प्रायोजक संस्थाओं - आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा समय-समय पर आर्यजनों को अवगत भी किया जाता रहा है। ज्ञात हो कि गुरुकुल के संचालन में तीनों सभाओं के पांच-पांच प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होती थी, जो कि यूजीसी विनियम 2023 में एक प्रतिनिधि कर दी गई है। इसके साथ ही यूजीसी विनियम 2023 के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति भी यू.जी.सी./सरकार द्वारा की जाएगी और कुलपति के चयन का अधिकार भी यू.जी.सी./सरकार को ही होगा। इसके विरोध में तीनों सभाओं ने यूजीसी एवं भारत सरकार को लगातार पत्र लिखकर आपत्तियां व्यक्त की हैं। प्रायोजक संस्थाओं ने यूजीसी और सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान मात्र नहीं है, बल्कि यह तो महर्षि दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा और स्वामी श्रद्धानन्द जी की तपस्थली तथा आर्य समाज की वैदिक संस्कृति और संस्कारों की धरोहर है। यहां पर आर्य समाज का अधिकार इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे गुरुकुल कांगड़ी के वास्तविक उद्देश्य और गरिमा को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र सेवा और मानव निर्माण किया जाता रहे। किन्तु अभी तक यूजीसी एवं सरकार की ओर से समविश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था - आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली के पत्र व्यवहार को कोई उत्तर प्राप्त नहीं दिया गया है।

उपरोक्त जानकारी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2024 में महामन्त्री श्री विनय आर्य जी ने उपस्थित अन्तरंग सभा के सदस्यों और विशेष आमन्त्रित सदस्यों के रूप में उपस्थित आर्यसमाजों के अधिकारियों, वेद प्रचार मंडलों, विभिन्न संस्थानों के माननीय अधिकारियों को विस्तृत रूप से प्रदान की।

समस्त घटनाक्रम को जानकर सभी आर्यजनों में काफी रोष था और सभी ने एक स्वर में गुरुकुल कांगड़ी को आर्य समाज की महान धरोहर, स्वामी श्रद्धानन्द जी की तपस्थली और मानव निर्माण का केन्द्र मानते हुए इसकी रक्षा के लिए संकल्प लिया और कहा कि किसी भी कीमत पर हम गुरुकुल कांगड़ी को न ही सरकार के हाथों में जाने देंगे और न ही उन लोगों के हाथों में जो भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर छल-कपट और षड़यन्त्र रच रहे हैं। चाहे हमें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम तैयार हैं।

उन्होंने बताया कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अभी तक भी यू.जी.जी. अधिनियम 2019 के अनुसार संचालित है किन्तु कुलपति और कुल सचिव मिलकर अवैध रूप से बोर्ड आफ मैनेजमैंट में अवैध प्रस्ताव पारित करके यू.जी.सी. और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। प्रायोजक संस्थाओं को धत्ता बताते हुए बिना उनकी स्वीकृति/सहमति वे गलत और अवैध रूप से यू.जी.सी. विनियम 2023 को लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं और यू.जी.सी./सरकार भी उनके अवैधक/गलत प्रस्तावों को बिना जांच-पड़ताल और प्रायोजक संस्थाओं से सत्यापित किए बिना न जाने किस दबाव/लालच और भ्रष्टाचार के चलते लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि

श्रद्धानन्द के सपनों का आंगन, आर्य समाज के दिल की धड़कन।।
गुरुकुल कांगड़ी करे पुकार, यूजीसी/शिक्षा मन्त्रालय का अत्याचार।।

वैदिक धर्म की विजय पताका फहराएँगे,
षड्यंत्र कारियों को सबक सिखाएँगे।।

गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का प्राण है गुरुकुल कांगड़ी,
वैदिक धर्म, संस्कृति का प्रमाण है गुरुकुल कांगड़ी।

प्रतिष्ठा में,

गुरुकुल कांगड़ी के वर्तमान कार्यवाहक कुलपति डॉ. सोमदेव शातांशु एवं कुलसचिव एवं पूर्व कुलाधिपति डॉ. सत्यपाल सिंह जी के प्रभाव में आकर

स्पॉन्सरिंग सोसायटीज द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति भी कर रही है पूरे प्रकरण की जांच

निरन्तर अवैध एवं नकारात्मक कार्य कर रहे हैं। डॉ. सत्यपाल सिंह ने कुलाधिपति पद से त्यागपत्र देने के बाद भी अनैतिक रूप से अपने आपको कुलाधिपति लिखना और बताना नहीं छोड़ा। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट स्वयं मामले का संज्ञान लिया और न्यायालय की अवमानना 'कोर्ट आफ कैंटेम्पट' के लिए उन्होंने दोषी बताया, जिसके लिए उन्होंने माननीय कोर्ट के समक्ष शपथपत्र देकर क्षमा याचना भी की।

गुरुकुल कांगड़ी प्रशासन द्वारा गुरुकुल की भूमि बेचने वालों को मंचों पर आमन्त्रित करके सम्मानित किया जा रहा हैं। कुलसचिव और कुलपति उनके सम्पर्क में और और उनकी मंशा को सिरे चढ़ाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, आर्य विद्या सभा गुरुकुल कांगड़ी और विश्वविद्यालय में मामलो को लगातार उलझाते जा रह हैं। आर्यजनों को इनसे सावधान रहने और समाज से बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। आर्यजनों को भेड़ की खाल में छिपे इन भूमाफिया भेड़ियों को समाज के समक्ष सावधान रहने की आवश्यकता है।

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के लिए मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक श्री धर्मपाल आर्य द्वारा विद्या दर्शन ऑफसैट प्रिंटर्स, यूनिट नं.-21, प्रधान कॉम्प्लेक्स, मेन रोड मंडावली, दिल्ली-92 से मुद्रित एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15-हनुमान रोड, नई दिल्ली-1; फोन : 23360150; 23365959; E-mail : aryasabha@yahoo.com; Web : www.thearyasamaj.org से प्रकाशित

सम्पादक : धर्मपाल आर्य सह सम्पादक : विनय आर्य व्यवस्थापक : शिवकुमार मदान सह व्यवस्थापक : आर्य डॉ० ओमप्रकाश भटनागर, एस. पी. सिंह